

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार
(लेखा एवं हकदारी) मध्य प्रदेश,
भोपाल शाखा, 53, अरेरा हिल्स,
नर्मदापुरम रोड, भोपाल-462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in



INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS
DEPARTMENT,
Office of the Accountant General
(A & E) Madhya Pradesh,
Bhopal Branch, 53, Arera Hills,
Narmadapuram Road, Bhopal-462011
Phone: 0755-2554821 & 2764037
Fax: 0755-2557452
E-mail: srdagaebhopal@cag.gov.in

क्र./नि.ले.-1/IFMIS/2025-26/D-744

दिनांक: 02/03/2026

कार्यालय आदेश

विषय : IFMIS के माध्यम से निर्माण संभागों का सम्पूर्ण लेखा प्रेषित किये जाने बाबत ।

उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखे) के आदेशानुसार राज्य सरकार के निर्माण विभागों के लेखों को IFMIS के माध्यम से ही प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि मासिक लेखे के साथ प्रेषित किये जाने वाले सभी vouchers/bills भी IFMIS पर अपलोड किये जावे ।


इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के कार्यालय आदेश दिनांक 02.07.2025 द्वारा संभागीय लेखापाल संवर्ग के समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारियों/ संभागीय लेखाधिकारी -1/2 एवं संभागीय लेखपालों को सभी vouchers/Bills को मासिक लेखों के docket के साथ IFMIS पर अपलोड करने हेतु आदेशित किया गया था।

उक्त आदेश दिनांक 02.07.2025 के बावजूद यह देखा गया है कि निर्माण विभागों के संभागों द्वारा मासिक लेखे के साथ प्रेषित vouchers/bills इत्यादि IFMIS पर अपलोड नहीं किये जा रहे हैं ।

अतः संभागीय लेखापाल संवर्ग के समस्त वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारियों/ संभागीय लेखाधिकारी -1/2 एवं संभागीय लेखपालों को यह निर्देशित किया जाता है कि मासिक लेखे के साथ प्रेषित किये जाने वाले सभी vouchers/bills भी IFMIS पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें । साथ ही मासिक लेखे के साथ इस सम्बन्ध में vouchers/bills इत्यादि IFMIS पर अपलोड किये जाने का प्रमाणपत्र भी मासिक लेखों के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें ।

उक्त को वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु संज्ञान में लिया जावेगा ।

(प्राधिकार : उप महालेखाकार (निर्माण लेखा) के आदेश दिनांक 02.03.2026)


वरिष्ठ लेखा अधिकारी (नि.ले.-1)

प्रति,

संभागीय लेखापाल संवर्ग के समस्त

वरिष्ठ संभागीय लेखाधिकारी/ संभागीय लेखाधिकारी -1/2

एवं संभागीय लेखपाल